न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 96 / 2015

हरनेकसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति मजहबी निवासी 73 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कुम्भाराम पुत्र अल्सीराम जाति कुम्हार निवासी बिलोचिया तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. हिम्मताराम पुत्र अल्सीराम जाति कुम्हार निवासी बिलोचिया तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर दिनांक 22.08.2014

उपस्थितिः–

श्री सुशील गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सोहनलाल जोशी अभिभाषक रेस्पा.

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला कलक्टर श्रीगंगरानगर की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2014 में हुई विनिमय समिति की बैठक में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण दोहरे आवंटन से संबंधित है जिसके सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन के लिए लिखा गया है जो अभी तक अपेक्षित है। शासन को पुनः स्मरण करवाया जावे तब तक प्रकरण पेंडिग रखा जाता है के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

23/4/18

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को चक 13 बीएलएम ए के मु.न. 205/422 की 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 15.02.1983 को किया गया था जिसकी किश्तों की राशि जमा करवानी थी जिसकी किश्तों की राशि जमा करवाने के लिए अपीलार्थी गया तो उक्त भूमि अल्सीराम को आवंटन कर दी। रेस्पो. को आवंटन से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र पेश किया जो विनिमय समिति में रखा गया एवं राज्य सरकार से मार्गदर्शन के लिए लिखा गया एवं अपीलार्थी से किश्तों की राशि जमा नहीं करवाई गई। अपीलार्थी को नियमानुसार आवंटन किया गया था। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसक लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल कर अपीलांट से किश्तों की राशि जमा करवाई जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है जो प्राप्त होने पर कार्यवाही होनी है। इसके अलावा रेस्पो. के पिता को रकबा राज का आवंटन किया गया है एवं कब्जा रेस्पो. का चला आ रहा है। अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 02.08.2014 के विरुद्ध दिनांक 09.06.2015 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

23/4/18

अपीलार्थी द्वारा अपील के अनवान में अंकित किया है कि अपील विरूद्ध आदेश चक 13 बीएलएमए का मु.न. 205/422 का कि.न. 1 ता 25 अनकमांड जो अपीलांट को दिनांक 15.02.83 को आवंटन किया गया और किश्तों के अभाव में राज घोषित किया वा रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पिता अल्सीराम को आवंटन किया गया जो आवंटन निरस्त किया जाकर अपीलांट को किया गया आवंटन रकबा किश्ते जमा कराया जाकर बहाल किया जाने के सम्बन्ध में एवं जनसुनवाई दिनांक 22.08.2014 के विरूद्ध।

अपील मीमों में कही पर भी अंकित नहीं किया है कि अपील किस आदश के विरूद्ध पेश की है न ही आदेश की प्रति अपील के साथ पेश की हो जिसे चुनौती दिया जाना जाहिर किया गया हो जबकि अपीले सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 व धारा 104 की परिधि में आने वाले आदेशें की ही की जा सकता है जिसकी Bare reading है कि धारा 96:–मूल डिक्री की अपीलः– (1) वहां के सिवाय जहां इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित है, ऐसी हर डिक्री, जो आरम्भिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है।

(2) एकपक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी।

(3) पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी।

(4) लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य (दस हजार रूपये) से अधिक नहीं है केवल विधि के प्रश्न के सम्बन्ध में होगी।

धारा 104:– वे आदेश जिसकी अपील होगीः– (1) निम्नलिखित आदेशों की अपील होगीः– (चच) धारा 35क के अधीन आदेश। (चचच) धारा 91 या धारा 92 के अधीन, यथास्थिति, धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति के वाद को संस्थित करने के लिए इजाजत देने से इन्कार करने वाला आदेश। (छ) धारा 95 के

23/4/18

अधीन आदेश। (ज) इस संहिता के उपबन्धों में से किसी के अधीन ऐसा आदेश जो जुर्माना अधिरोपित करता है या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारावास में निरोध निर्दिष्ट करता है, वहां के सिवाय जहां कि ऐसी गिरफ्तारी या निरोध किसी डिक्री के निष्पादन में है। (झ) नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप में अनुज्ञात है, और इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किन्हीं भी अन्य आदेशों की अपील नहीं होगी : परन्तु खण्ड (चच) में विनिर्दिष्ट किसी भी आदेश की कोई भी अपील केवल इस आधार पर ही होगी कि कोई आदेश किया ही नहीं जाना चाहिए था या आदेश कम रकम के संदाय के लिए किया जाना चाहिए था।

(2) इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी।

अपील मीमों व उसके साथ फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में ऐसा कोई विधिक आदेश संलग्न नहीं किया गया है जिसको पढ़ा जाकर अपील का निर्णय किया जा सके। अतः अपीलाधीन आदेश ही विवेचन के लिए उपलबध नहीं होने से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह अपील किसी आदेश के विरूद्ध ही पेश होना प्रमाणित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर